

अध्याय-VI सामान्य

6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही –(सिविल)


लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, इनके सदन पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही दर्शाते हुए टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (एटीएन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की, कि मार्च 1996 से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के समस्त अनुच्छेदों पर एटीएन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के भीतर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पीएसी को एटीएन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।


वर्ष 2015 की अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि सितम्बर 2015 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत तीन विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और डीईआईटीवाई से सम्बंधित 24 अनुच्छेदों में एटीएन लम्बित थे, जिनमें से 09 अनुच्छेदों में एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है।

नई दिल्ली
दिनांक : 7 जनवरी, 2016


(मीरा स्वरूप)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 12 जनवरी, 2016


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक